

THE JHARKHAND GAZETTE EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 873

23 Kartik, 1938 (S)
Ranchi, Tuesday, 14th November, 2017
COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

14th November, 201**7**

NOTIFICATION No-47/2017 State Tax (Rate)

S.O. No. 127- Dated -14th **November, 2017**-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, (Department of Commercial Taxes), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, *vide* S.O No-42, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 11A, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: "Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by
 way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against
 consideration in the form of commission or margin.";
- (b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79A	Headin	Services by way of admission to a protected	Nil	Nil
	g 9996	monument so declared under the Ancient Monuments		"
		and Archaeological Sites and Remains Act 1958 (24 of		
		1958) or any of the State Acts, for the time being in		
		force		

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2017] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal, Principal Secretary-cum Commissioner.

Note: -The principal notification was published in the Gazette of Jharkhand, *vide* notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 29thJune, 2017, *vide* S.O No-42, dated the 29thJune, 2017 and was last amended by notification No.32/2017 - State Tax (Rate) dated the 21st October, 2017 *vide* S.O No-117 dated the 21st October, 2017.

वाणिज्यकर विभाग-

अधिसूचना 14 नवम्बर, 2017

अधिसूचना सं0. 47/2017- राज्य कर (दर)

एस. ओ. - 127- दिनांक- 14 नवम्बर, 2017-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)की धारा 11 की उपधारा (1)के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एततद्वारा, झारखण्ड सरकार, (वाणिज्य कर विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे एस. ओ. 42 दिनांक 29 जून, 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

- (i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-
 - (क)क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।";

- (ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
- (ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''79क	शीष	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष	कुछनहीं	कुछनहीं"।
	9996	अधिनियम, 1958 के अंतर्गत या किसी राज्य		
		अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में		
		प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।		

2. यहअधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2017] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, प्रधान सचिव-सह-आय्क्त ।

नोट: - प्रधान अधिसूचना को 12/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017, जिसे एस. ओ. 42 दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 32/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 21 अक्टूबर 2017, एस. ओ. 117 दिनांक 21 अक्टूबर 2017 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।
